

# Order Sheet [Contd]

Case No 311/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
01-09-2017	<p>आवेदक/अभियुक्त राजेश की ओर से श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) गोहद से प्र०क० 422/17 ई०फौ०</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त राजेश की ओर से अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक 18.08.17 को बल न देने के कारण निरस्त किया गया है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदनपत्र द्वितीय जमानत अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० में निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसे पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा गलत रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आवेदक अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है और अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोक्त्री ने आवेदक के साथ जाने के कथन नहीं किए हैं और इसी आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>यह सही है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदनपत्र बल न देने के कारण निरस्त किया गया है। जमानत आवेदनपत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाना गुणदोष के समान है, किन्तु प्रकरण में यह देखा जाना होगा कि क्या गुणदोष के आधार पर भी आवेदक/अभियुक्त जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोक्त्री की माँ हरबाई का अपने कथनों में कहना रहा है कि जब वह घर पर पहुँची तो रानी घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री रानी के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के कथनों में माँ की मारपीट पर बिना बताए घर से जाना बताया है और डिगोरा में पुलिस के द्वारा पकड़ना बताया है। इसी आशय के कथन अभियोक्त्री के धारा 161 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में रहे हैं। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p>	

अतः आवेदक/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप की प्रकृति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

**शर्त:-**

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
  2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
  3. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस किया जावे।  
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
ए0एस0जे0 गोहद